प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर,

दाण्डिक अपील सं 760/2019

{कोरबा के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सत्र विचारण संख्या 84/2017 में दिनांक 26-4-2019 को दिए गए निर्णय से उत्पन्न}

सुशांत नायक, पिता स्वर्गीय मदनलाल नायक, लगभग 24 वर्ष , निवासी मुदापर, पीछे रामलीला मैदान, चौकी मानिकपुर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा , चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :--श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :--श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता।

युगल पीठ :--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

(17/11/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत इस न्यायालय के दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, एकमात्र अपीलकर्ता ने द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा सत्र विचारण संख्या

84/2017 में दिनांक 26-4-2019 को पारित निर्णय एवं आदेश की वैधता, औचित्य और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 67 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास और ₹1,000/- का जुर्माना अदा करने का दंड पारित किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास और चार वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,000/- का जुर्माना अदा करने का दंड पारित किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा, और यह निर्देश दिया गया है कि दोनों दंड साथ-साथ चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि 20-6-2017 से लगभग एक वर्ष पूर्व, अपीलकर्ता ने मुख्य पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) के साथ अपने घर और अन्य स्थानों पर कई बार यौन उत्पीड़न किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी, इस प्रकार उसने अपराध कारित किया। पीड़िता (पी.डब्ल्यू-3) द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज (एक्स.पी.-3) कराई गई थी ।पीड़िता की निशानदेही पर देहाती एफआईआर (एक्स.पी 4) और नियमित एफआईआर (एक्स.पी 22) दर्ज की गई। आपत्तिजनक सामग्री वाला एक मोबाइल फोन पीड़िता से जब्त किया गया (जब्ती ज्ञापन, एक्स.पी 6)।आपत्तिजनक तस्वीरों वाली पेन-ड्राइव और सीडी जब्त की गई (एक्स.पी 9)।पीड़िता (पी. डब्ल्यू.-3) का एमएलसी डॉ. किरण सोनकर (पी. डब्ल्यू.-5) द्वारा किया गया (एक्स. पी 10), ने राय दी कि यौन संबंध के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है।आपत्तिजनक सामग्री देखी गई और पंचनामा तैयार किया गया (एक्स. पी-13)। आरोपी/अपीलकर्ता की सूचना पर आपत्तिजनक तस्वीरों वाला एक मोबाइल फोन जब्त किया गया (एक्स. पी-14)।अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपराध विवरण प्रपत्र (एक्स. पी--24) तैयार किया गया था और पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा (एक्स. पी--8) तैयार किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. सीआरपीसी की धारा 161 के तहत साक्षीयो के बयान दर्ज किए गए। सामान्य अन्वेषण पश्चात् , आरोपी/अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 384 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र दायर किया गया और संबंधित आपराधिक न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया गया। प्रकरण कोरबा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जहां से कोरबा के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया।

4. आरोपी/अपीलकर्ता ने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपना बचाव प्रस्तुत किया। अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पंद्रह साक्षीयों से परीक्षा की और 27 दस्तावेज़ पेश किए। बचाव पक्ष ने न तो किसी साक्षी से परीक्षा की और न ही अपने प्रकरण के समर्थन में कोई दस्तावेज़ पेश किया ।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख में मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी ठहराया गया, मुख्य रूप से पीड़िता (पीडब्ल्यू-3) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए कि आरोपी ने उसकी सहमति के बिना बार-बार उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे। विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 114 ए का उल्लेख करते हुए यह अनुमान लगाया कि पीड़िता ने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी।विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 90 का भी उल्लेख देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता ने चोट के भय से पीड़िता की सहमति प्राप्त की थी।उपरोक्त आधार पर,विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए दंड पारित किया गया, जैसा कि इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लेख किया गया है,जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत यह अपील दायर की गई है।

6. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुईं विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी ने कहा कि पीड़िता एक वयस्क लड़की है, जिसकी उम्र परीक्षण के समय लगभग 24 वर्ष थी और यह घटना उसकी परीक्षा से दो साल पहले तक लगातार होती रही, इसलिए उस समय भी उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी।वह आगे यह तर्क देती है कि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पीड़ित की सहमति चोट के डर से ली गई थी, इसलिए विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 90 को सही ढंग से लागू किया है। इस प्रकार, कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है और इसलिए अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी/राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री पंकज सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और अपील का विरोध किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और उनके द्वारा ऊपर दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

9. यह स्वीकार किया जाता है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) घटना के समय लगभग 24 वर्ष की आयु की बालिग थी और अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक था कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) की सहमति अपीलकर्ता द्वारा चोट के भय से प्राप्त की गई थी और इस कारण से, ऐसी सहमति आईपीसी की धारा 90 के तहत अमान्य थी। विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यौन संबंध के लिए उसकी सहमति अपीलकर्ता द्वारा चोट के भय से प्राप्त की गई थी और यह तथ्य आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषसिद्धि का आधार था।आईपीसी की धारा 375 के स्पष्टीकरण 2 में बलात्कार के अपराध के संदर्भ में सहमति को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: --

"स्पष्टीकरण 2.सहमति का अर्थ है एक स्पष्ट स्वैच्छिक करार, जब महिला शब्दों, हावभाव या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार के माध्यम से विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है:परंतु

कि जो महिला शारीरिक रूप से प्रवेश का विरोध नहीं करती है, उसे केवल इसी कारण से यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली नहीं माना जाएगा।"

10. उपरोक्त स्पष्टीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक करार है, जब महिला शब्दों, हावभाव या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार के माध्यम से विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है; परंतु कि जो महिला शारीरिक रूप से प्रवेश का विरोध नहीं करती है, उसे केवल इसी कारण से यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली नहीं माना जाएगा।इस प्रकार, आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत परिभाषित सहमति में मौखिक और गैर-मौखिक संचार दोनों शामिल हैं।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मैंगो राम 1 के मामले में, आईपीसी की धारा 375 के संदर्भ में 'सहमति' की अवधारणा की जांच करते हुए, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :---

"13. ... आतंक के भय में शरीर का समर्पण सहमति से किया गया यौन कृत्य नहीं माना जा सकता है। धारा 375 के प्रयोजन के लिए सहमति के लिए स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता होती है, न केवल कार्य के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के ज्ञान पर आधारित बुद्धि के प्रयोग के बाद, बल्कि प्रतिरोध और सहमति के बीच चुनाव का पूरी तरह से प्रयोग करने के बाद।सहमति थी या नहीं, इसका निर्धारण केवल सभी सुसंगत परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से ही किया जा सकता है।".

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस स्तर पर, आईपीसी की धारा 90 पर ध्यान देना उचित होगा, जो नकारात्मक भाषा में लिखी गई है। इसमें निम्नलिखित कहा गया है:---

"90. भय या भ्रम के तहत दी गई सहमति।

—इस संहिता की किसी धारा के अनुसार, कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं मानी जाएगी, यदि वह सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के भय या तथ्य के भ्रम के तहत दी गई हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो, या उसके पास यह मानने का कारण हो, कि सहमति ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप दी गई थी; या

विक्षिप्त व्यक्ति की सहमति—यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो, मानसिक अस्वस्थता या नशे की हालत में, उस बात की प्रकृति तथा परिणाम को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है; या

बालक की सहमति ।—जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो, यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो बारह वर्ष से कम आयु का है।"

13. यद्यपि आईपीसी की धारा 90 में यह प्रावधान है कि 'क्षति लगने के भय' के आधार पर प्राप्त सहमति विधिक रूप से वैध सहमति नहीं होगी, फिर भी इस प्रावधान में 'क्षति लगने के भय' की विशिष्ट परिभाषाएँ नहीं दी गई हैं।हालाँकि, आईपीसी की धारा 44 में 'क्षति' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:---

"44. "क्षति"—"क्षति" शब्द का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में अवैध रूप से होने वाला कोई भी नुकसान।"भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(14) के अंतर्गत 'क्षति' की परिभाषा भी इसी प्रकार है।इस प्रकार, "क्षति' शब्द में न केवल शरीर को बल्कि मन, प्रतिष्ठा और संपत्ति को होने वाली हानि भी शामिल है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदीप कुमार उर्फप्रदीप कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य 2 के मामले में, आईपीसी की धारा 90 में निहित 'सहमति' की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'सहमति' दो भागों में है: क्षति का भय और तथ्य की गलत धारणा, और निम्नानुसार टिप्पणी की:---

10. xxx xxx xxx धारा 90 के प्रथम भाग में उल्लिखित कारक पीड़ित के दृष्टिकोण से हैं। धारा 90 का द्वितीय भाग आरोपी के दृष्टिकोण से संबंधित प्रावधान को लागू करता है।इसमें यह परिकल्पना की गई है कि आरोपी को भी यह जानकारी है या उसके पास यह मानने का कारण है कि पीड़ित ने चोट के भय या तथ्य की गलतफहमी के परिणामस्वरूप सहमति दी थी।इस प्रकार, द्वितीय भाग उस व्यक्ति के ज्ञान या उचित विश्वास पर जोर देता है जिसने दूषित सहमति प्राप्त की है।दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या सहमति देने वाले व्यक्ति ने चोट के भय या तथ्य की गलतफहमी के तहत सहमति दी थी, और न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कृत्य करने वाला व्यक्ति, अर्थात् कथित अपराधी, तथ्य से अवगत था या उसके पास यह सोचने का कारण होना चाहिए था कि भय या गलतफहमी के अभाव में सहमति नहीं दी जाती है।यह धारा 90 की योजना है जो नकारात्मक शब्दावली में है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xxxx

11. "21. दंड संहिता के अंतर्गत 'सहमति' शब्द के अर्थ पर चर्चा करने वाले अधिकांश निर्णयों में, स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश, जोविट के अंग्रेजी विधि के शब्दकोश (स्थायी संस्करण) और अन्य विधिक शब्दकोशों में दिए गए अंशों का संदर्भ दिया गया।स्ट्राउड सहमति को 'विचार-विमर्श के साथ किया गया एक तर्कसंगत कार्य' के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें मन तराजू की तरह दोनों पक्षों के अच्छे और बुरे का आकलन करता है।जोविट ने इसी भाषा का प्रयोग करते हुए आगे कहा:'सहमति में तीन चीजें निहित होती हैं —शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और उनका स्वतंत्र एवं गंभीर उपयोग।अतः यदि सहमति धमकी, बल प्रयोग, सोची-समझी चालबाज़ी, छल, आश्चर्य या अनुचित प्रभाव से प्राप्त की जाती है, तो उसे भ्रम माना जाना चाहिए, न कि मन का जानबूझकर और स्वतंत्र कार्य।''

xxxxxxx xxx xxx

15. इसी प्रकार, सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 3 के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने 'सहमति' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया है:---

"30. किसी महिला की सहमति तभी मानी जा सकती है जब वह स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो, और उसके पास अपनी शारीरिक और नैतिक शक्ति का पूर्ण और अबाधित प्रयोग हो, ताकि वह

अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके।सहमति का तात्पर्य किसी बात को अस्वीकार करने या रोकने के स्वतंत्र और अबाधित अधिकार का प्रयोग करना है; यह हमेशा दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित और पूर्व द्वारा स्वीकृत कार्य की स्वैच्छिक और सचेत स्वीकृति होती है।अपरिहार्य विवशता के सामने किया गया कार्य कानून की दृष्टि से सहमति नहीं है।इतना ही नहीं, यह भी जरूरी नहीं है कि बल का वास्तविक प्रयोग किया ही जाए।बल प्रयोग की धमकी ही पर्याप्त है।"

16. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, प्रदीप कुमार (उपरोक्त) और सतपाल सिंह (उपरोक्त) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सहमति' की परिभाषा और निर्धारित विधि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य प्रश्न यह होगा कि क्या पीड़िता (पीडब्ल्यू-3) की बार-बार यौन संबंध बनाने की सहमति वैध नहीं थी क्योंकि यह कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 90 के अर्थ में 'क्षति के भय' के तहत प्राप्त की गई थी, जिससे यौन कृत्य आईपीसी की धारा 375 के तहत "बलात्कार" बन जाता है?

17. यह स्वीकार किया जाता है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) प्रश्नगत अवधि के दौरान, अर्थात 20-6-2017 से लगभग एक वर्ष पहले तक, बालिग थी। इसलिए, बलात्कार का अपराध सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह साबित करना आवश्यक था कि दिखावटी सहमति विधि की दृष्टि से वैध नहीं थी, क्योंकि अपीलकर्ता ने यह सहमति 'क्षति के डर' के तहत प्राप्त की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. न्यायालय के समक्ष पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) के बयान का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यौन संबंध की पहली घटना तब घटी जब वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के घर गई थी।उसने स्वीकार किया है कि उस समय दोनों एक-दूसरे के प्रति स्नेह विकसित कर चुके थे।यद्यपि पीड़िता ने कहा है कि यौन संबंध की पहली घटना उसकी सहमति के बिना हुई थी, लेकिन साथ ही उसने यह भी बयान दिया है कि उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके मन में अपीलकर्ता के प्रति स्नेह और भावनाएँ थीं।इस स्वीकारोक्ति से यह दावा कमजोर हो जाता है कि उसकी इच्छा को शुरू में भय के बल पर प्राप्त किया गया था। पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता ने पहली घटना के दौरान आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं और उसके बाद डेढ़ साल तक यौन संबंध बनाए रखने के लिए उन तस्वीरों का इस्तेमाल उसे मजबूर करने के लिए किया था।हालाँकि, केवल इस प्रकार के भय का दावा करना, असहायता या दबाव को दर्शाने वाले आचरण के बिना, स्वैच्छिकता की धारणा को खारिज करने के लिए अपर्याप्त है, विशेषकर तब जब आसपास की परिस्थितियाँ इसके विपरीत संकेत देती है।

19. वर्तमान प्रकरण में, पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) का संबंध कायम रहने के दौरान किया गया आचरण निरंतर भय या दबाव की स्थिति के अनुरूप नहीं है।उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह अपीलकर्ता के साथ दो वर्ष तक प्रेम संबंध में रही और उसके प्रति प्रेम और स्नेह के कारण उस दौरान कई बार यौन संबंध बनाए।उसने यह भी बताया है कि वह अक्सर अपीलकर्ता के घर जाती थी, उसकी माँ से आदरपूर्वक बातचीत करती थी और परिवार उसे भावी बहू की तरह मानता था।उसके बयान से किसी प्रकार की आशंका, भावनात्मक पीड़ा या निरंतर दबाव का संकेत नहीं मिलता है।दूसरी ओर, पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) ने स्पष्ट रूप

से स्वीकार किया है कि वह अपीलकर्ता से विवाह करना चाहती थी और उसके परिवार ने सामाजिक असमानता के कारण इस संबंध को अस्वीकार कर दिया था।उसके साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि एफआईआर दर्ज होने से ठीक पहले पीड़ित के भाई इस्माइल सोना (पी.डब्ल्यू. -2) और अपीलकर्ता के मित्रो के बीच कहासुनी हुई थी, जिससे अपीलकर्ता से चोट लगने के डर के बजाय बाहरी दबाव और पारिवारिक तनाव का संकेत मिलता है।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगो राम के प्रकरण (उपरोक्त) में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आतंक के तहत शरीर को सौंपना सहमति नहीं है, लेकिन सहमति स्वैच्छिक है या नहीं, यह परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

21. वर्तमान मामले में, पीड़िता (पी. डब्ल्यू.-3) का आचरण, उसके स्नेह की स्वीकारोक्ति, अपीलकर्ता से विवाह करने की उसकी इच्छा और लंबे समय तक उसके साथ उसकी निरंतर स्वैच्छिक संगति, यह दर्शाती है कि कथित भय न तो निरंतर था और न ही यौन कृत्यों में उसकी भागीदारी का मुख्य कारण था।

22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचने का ऐसा भय था जिसके कारण वह लगभग डेढ़ वर्ष तक अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने में असमर्थ रही।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अब प्रश्न यह है कि क्या आरोपी/अपीलकर्ता को यह ज्ञात था/विश्वास करने का कारण था कि सहमति भय से प्रेरित थी?

24. आईपीसी की धारा 90 के दूसरे भाग के अनुसार, आरोपी/अपीलकर्ता को यह ज्ञात होना चाहिए, या विश्वास करने का कारण होना चाहिए, कि कथित सहमति भय के अधीन दी गई थी। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य इस आवश्यक तत्व को स्थापित नहीं करते हैं, और न ही उक्त सहमति के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया गया है।बल्कि, पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) द्वारा व्यक्त की गई निरंतर प्रेमपूर्ण संबंध, विवाह की इच्छा और अपीलकर्ता के घर पर उसकी नियमित यात्राओं से अपीलकर्ता को यह मानने का उचित कारण मिलता कि यौन संबंध आपसी सहमति से और उनके आपसी स्नेह की एक स्वाभाविक घटना थी।इस प्रकार, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) ने कथित खतरे के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बताया हो, यहां तक कि तब भी जब उसके परिवार को संबंध पर संदेह होने लगा था।इन परिस्थितियों के कारण से निरस्त हो जाएगा।इन परिस्थितियों से यह निष्कर्ष गलत साबित होता है कि अपीलकर्ता किसी भय-प्रेरित समर्पण के प्रति सचेत थी।

25. उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) की सहमति आईपीसी की धारा 90 के अर्थ में 'क्षति के भय' से दूषित थी। उसके कथन, समग्र रूप से पढ़ने पर, धमकियों या दबाव से प्रेरित यौन कृत्यों के बजाय एक सहमतिपूर्ण प्रेम संबंध को दर्शाती है। इसी प्रकार, अभिलेख से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलकर्ता को यह आवश्यक जानकारी थी कि उसकी

सहमति भय के कारण थी।इस स्थिति में, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सहमति के अभाव के निष्कर्ष को बरकरार रखना कठिन है, और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि के निष्कर्ष को भी बरकरार रखना कठिन है।

26. इसी प्रकार, पीड़िता की माता रुत सोना (पी. डब्ल्यू-1), पीड़िता के भाई इस्माइल सोना (पी. डब्ल्यू-2) और इशाक सोना (पी. डब्ल्यू-4) तथा उसके रिश्तेदार अतुल कुमार (पी. डब्ल्यू-9) के बयानों से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-3) का अपीलकर्ता के साथ काफी समय तक संबंध रहा।

27. इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष पीड़िता (पी.डब्ल्यू.-3) का बयान असंगतताओं और विरोधाभासों से भरा है, जो उसे 'विश्वसनीय साक्षी' मानने से रोकता है।'विश्वसनीय साक्षी' की कसौटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) 4 के प्रकरण में निर्धारित की गई है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:---

"22. हमारी राय में, "विश्वसनीय साक्षी " उच्च कोटि का और उच्च योग्यता वाला होना चाहिए, जिसका बयान निर्विवाद होना चाहिए।न्यायालय को ऐसे साक्षी के बयान को बिना किसी संकोच के उसके मूल रूप में स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए।ऐसे साक्षी की योग्यता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की सामाजिक स्थिति असंगत होगी और केवल उसके द्वारा दिए गए बयान की सत्यता ही महत्वपूर्ण होगी।सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि साक्षी का बयान शुरू से अंत तक, अर्थात प्रारंभिक बयान से लेकर न्यायालय के समक्ष अंतिम बयान तक, सुसंगत हो।यह स्वाभाविक होना चाहिए और आरोपी के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए।ऐसे साक्षी के बयान में किसी प्रकार का छल-कपट नहीं होना चाहिए।साक्षी को किसी भी अवधि और कितनी भी कठिन प्रतिपरीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, उसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ना चाहिए।उसका बयान बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध करने का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय जैसे सभी सहायक दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए।उक्त बयान अन्य सभी साक्षी के बयानों से पूरी तरह मेल खाना चाहिए।यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू होने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ आरोपी को उसके विरुद्ध लगाए गए अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की कड़ी में कोई भी अधूरी कड़ी नहीं होनी चाहिए।यदि किसी साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों पर खरा उतरता है, तभी उसे "विश्वसनीय साक्षी" कहा जा सकता है, जिसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है।अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल पहलुओं पर उक्त साक्षी का कथन यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्रियां, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, उक्त बयान से महत्वपूर्ण विवरणों में मेल खानी चाहिए ताकि अपराध की सुनवाई करने वाली न्यायालय मूल बयान पर भरोसा करते हुए अन्य सहायक सामग्रियों की जांच कर अपराधी को लगाए गए आरोप का दोषी ठहरा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इसी प्रकार, तमीजुद्दीन उर्फ तम्मू बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) 5 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अभियोक्ता के साक्ष्य को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यह मानना कि इस साक्ष्य को तब भी स्वीकार किया जाना चाहिए जब कहानी अविश्वसनीय हो और तर्क के विपरीत हो, आपराधिक मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, और उन्होंने निम्नानुसार टिप्पणी की:---

"9. यह सत्य है कि बलात्कार के मामले में पीड़िता के साक्ष्य को सर्वोपरि माना जाना चाहिए, लेकिन यह मानना कि इस साक्ष्य को तब भी स्वीकार किया जाना चाहिए जब कहानी अविश्वसनीय और तर्कहीन हो, आपराधिक प्रकरण में साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। हमारा मानना है कि कहानी वास्तव में अविश्वसनीय है।"

29. इस स्थिति को देखते हुए, हम आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रख सकते है, और विशेष रूप से, विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को भी कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 90 के तहत अनिवार्य रूप से चोट के डर से पीड़ित (पी. डब्ल्यू-3) की सहमति प्राप्त की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. परिणामस्वरूप, हम दिनांक 26-4-2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दंड को अपास्त किया गया हैं।अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और आयकर अधिनियम की धारा 67 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है।उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए में निहित प्रावधान के तहत उनकी जमानत बांड छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

31. यह अपील स्वीकार की जाती है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur